न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम आइ०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
16/2022	29/03/2022	29/11/2024

1. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. गिर्राज पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. धनराज पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. मंजूबाई पुत्री रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. संजूबाई पुत्री रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
7. लटूरीबाई पत्नि स्व. रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. छोट्या पुत्र गोपाल जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. छोटी पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. राजी पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. रामकन्या पत्नि स्व. गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. रामकिशन पुत्र गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. विमला पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए, आर. टी. एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाद से संबंधित ग्राम फूसोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 1001 रकबा 0.94 है., खसरा संख्या 1003 रकबा 0.15है., कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.09है.

Gauta
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि संबोधित किया गया है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1–6 का वंशवृक्ष निम्न है–

गोपाल

गोरधन छोट्या बिशनी रामप्रताप

रामकिशन राजी विमला छोटी रामकन्या

ओमप्रकाश जगदीश गिर्राज धनराज मंजूबाई संजूबाई लटूरीबाई

यह कि बंदोबस्त सम्वत् 2041–2060 से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2036–2039 की खाता संख्या 66 मे खसरा संख्या 435 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा संख्या 432/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि गोमदा पुत्र उंकार हिस्सा 1/2 गोरधन, रामप्रताप, छोटया पुत्र एंव बिशनी बेवा गोपाल हिस्सा 1/2 जाति माली साकिन रूण की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड थी। बाद बंदोबस्त सम्वत् 2041–2060 गत खसरा संख्या 435 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 1001 रकबा 0.94है., खसरा संख्या 1003 रकबा 0.15है., कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.09 है. दर्ज किये जाकर त्रुटिपूर्ण तरीके से गोमदा पुत्र ओंकार हिस्सा 1/2 गोरधन पुत्र रामप्रताप छोटया पुत्र गोपाल बिशनी बेवा गोपाल हिस्सा 1/2 जाति माली साकिन रोण दर्ज कर दिया गया जबकि गोरधन, रामप्रताप, छोटया तीनो सगे भाई होकर गोपाल के पुत्र थे। यह कि कालान्तर मे गोरधन का स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिसो के रूप मे प्रतिवादी क्रम 2–6 के नाम फोती इन्तकाल दर्ज हो चुका है किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा कारित उक्त त्रुटि के कारण वादीगण के पिता एवन् पति रामप्रताप का नाम राजस्व अभिलेख से गलत तरीके से विलोपित ही हो गया। जिससे रामप्रताप के स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण के हक मे फौती नामान्तरकरण दर्ज नही हो रहा है। बिशनी बेवा गोपाल की मृत्यु हो चुकी है। जिनका नाम वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1–6 के पक्ष मे खाते से विलोपित कियो जाने योग्य है।

(अ). यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि मे वादीगण को 1/42 –1/42 हिस्सा भूमि कुल 7/42 अर्थात् 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे।

(ब) यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि मे प्रतिवादी क्रम 1 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 2–6 का हिस्सा 1/30–1/30 हिस्सा भूमि कुल 5/30 अर्थात् 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे।

Gautam
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

वाद वादी की ओर से श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन से की गई। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित हुए। पत्रावली में जवाब सरकार पेश शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार जर्ये तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट में पटवार हलका डूंगरली भू0अभि0निरीक्षक करवाड की रिपोर्ट अनुसार सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी रामप्रताप, गोरधन, छोट्या पुत्रान गोपाल, बिशनी बेवा गोपाल हिस्सा 1/2 गोमदा पुत्र उकार हि1/2 दर्ज रिकार्ड था तत्समय आराजी ख.न. 435 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 432/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था जिसका वर्तमान आराजी खसरा न0 1001 रकबा 0.94 हैक्टर व 1003 रकबा 0.15 हैक्टर गत आराजी ख0न0 435 से बने हैं जमाबन्दी बाद सेटलमेट गोमदा पुत्र उँकार हिस्सा 1/2 गोरधन पुत्र रामप्रताप छोटया पुत्र गोपाल बिशनी बेवा गोपाल हिस्सा 1/2 जाति माली सा.रोण दर्ज रिकार्ड दर्ज हो गया सेटलमेन्ट जमाबन्दी में गोरधन को रामप्रताप का पुत्र दर्ज कर दिया गिया जबकि गोरधन व रामप्रताप दोनो भाई है। जमाबन्दी सेटलमेन्ट पूर्व सवत 2036–39 में गोरधन रामप्रताप छोटया पुत्रान गोपाल बिशनी बेवा गोपाल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जॉच के अनुसार गोरधन रामप्रताप छोटया पुत्रान गोपाल सही है उक्त तीनो सगे भाई है।पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन व मनन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सेटलमेन्ट जमाबन्दी में गोरधन को रामप्रताप का पुत्र दर्ज कर दिया गिया जबकि गोरधन व रामप्रताप दोनो भाई है। जमाबन्दी सेटलमेन्ट पूर्व सवत 2036–39 में गोरधन रामप्रताप छोटया पुत्रान गोपाल बिशनी बेवा गोपाल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। अतः वादीगण को राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करवाने का विधिक अधिकार है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूसोद पटवार हल्का डूंगरली भू0अभि0नि0 करवाड़ की आराजी ख.न. 435 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 432/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था जिसका वर्तमान आराजी खसरा न0 1001 रकबा 0.94 हैक्टर व 1003 रकबा 0.15 हैक्टर गत आराजी ख0न0 435 वादीगण 1 ता 07 को 1/42 –1/42 हिस्सा भूमि कुल 7/42 अर्थात् 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर एवं उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादीकम 1 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीकम 2 ता 6 का हिस्सा 1/30–1/30 हिस्सा भूमि कुल 5/30 अर्थात 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादीकम 7 को दिए जाते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम आइ0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
16 / 2022	29 / 03 / 2022	29 / 11 / 2024

1. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. गिर्राज पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. धनराज पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. मंजूबाई पुत्री रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. संजूबाई पुत्री रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
7. लटूरीबाई पत्नि स्व. रामप्रताप जाति माली निवासी रोण हाल निवास इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. छोट्या पुत्र गोपाल जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. छोटी पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. राजी पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. रामकन्या पत्नि स्व. गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. रामकिशन पुत्र गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. विमला पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूसोद पटवार हल्का डूंगरली भू0अभि0नि0

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

करवाड की आराजी ख.न. 435 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 432/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था जिसका वर्तमान आराजी खसरा न0 1001 रकबा 0.94 हैक्टर व 1003 रकबा 0.15 हैक्टर गत आराजी ख0न0 435 वादीगण 1 ता 07 को 1/42 –1/42 हिस्सा भूमि कुल 7/42 अर्थात् 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीकम 2 ता 6 का हिस्सा 1/30–1/30 हिस्सा भूमि कुल 5/30 अर्थात 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर एवं उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादीकम 1 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीकम 2 ता 6 का हिस्सा 1/30–1/30 हिस्सा भूमि कुल 5/30 अर्थात 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादीकम 7 को दिए जाते है। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 29/11/24 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा